

## राजस्थान सरकार

# MSHKPS ,GOVT. COLLEGE , REODAR

### छात्र-संघ संविधान

FROM 2022-23 ONWARDS  
W.E.F-01/04/2023

#### अनुच्छेद 1 -

इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों का एक संघ होगा जो MSHKPS ,GOVT. COLLEGE ,REODAR के नाम से होगा।

#### उद्देश्य

#### अनुच्छेद 2 -

छात्र-संघ शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रयत्न करेगा कि विद्यार्थियों में :-

- 1 नेतृत्व क्षमता एवं गुणों का विकास हो।
- 2 सह अस्तित्व की भावना का विकास हो।
- 3 सहयोग एवं अनुशासन की भावना विकसित हो तथा महाविद्यालय के प्रति निरन्तर कर्तव्यशील बने रहने एवं इसके विकास के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहने की भावना जागृत हो।
- 4 सामाजिक समस्याओं के प्रति सजग रहने की भावना विकसित हो।
- 5 राष्ट्र के प्रति आत्मोत्सर्ग की भावना का विकास हो।
- 6 अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास हो।

#### अनुच्छेद 3 -

इसकी एक छात्र संसद होगी जो उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी परिषद् के माध्यम से समय-समय पर शैक्षिक, सहशैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।

#### सदस्यता

#### अनुच्छेद 4 -

महाविद्यालय का प्रत्येक नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी अनिवार्यतः छात्र-संघ का सदस्य होगा। महाविद्यालय के संकाय सदस्य और प्रशासन के सदस्य छात्र-संघ के सदस्य नहीं होंगे।

#### संरक्षक

#### अनुच्छेद 5 -

महाविद्यालय के प्राचार्य छात्र-संघ के पदेन संरक्षक होंगे।

#### अनुच्छेद 6 -

1. छात्र-संघ के समस्त कृत्यों के सम्पादन में संरक्षक को अन्तिम शक्ति प्राप्त होगी।

प्राचार्य

मातुश्री शांताबा हजारीमलजी के पी संघवी  
राजकीय महाविद्यालय, रेवढ़र (सिरोही)

१०.५.२३

छात्र-संघ का संविधान

2. इस संविधान की व्याख्या का अधिकार संरक्षक को होगा, जो अन्तिम होगा।

3. इस संविधान में अनुलिखित विषयों के सम्बन्ध में निर्णय संरक्षक द्वारा लिया जायेगा, जो अन्तिम होगा।

**अनुच्छेद 7 —** संरक्षक को अधिकार होगा कि वह :-

1. इस संविधान के क्रियान्वयन हेतु नियम बनाए या बनवाए।

2. छात्र—संघ के सामान्य अथवा विशेष अधिवेशन को आहूत या स्थगित करे।

3. विशेष परिस्थितियों में छात्र—संघ को भंग करे।

4. इस संविधान या इस संविधान के किसी अनुच्छेद या उसके किसी अंश विशेष को सम्पूर्ण सत्र या किसी कालावधि के लिए स्थगित कर दे।

5. छात्र—संसद या कार्यकारिणी परिषद के किसी सदस्य के विरुद्ध अभद्र आचरण, अनुशासनहीनता या कर्तव्य की अवहेलना की स्थिति में उपयुक्त कदम उठाए, जिसमें उसे पद से निलम्बित या पदच्युत करना भी शामिल है।

6. छात्र—संसद द्वारा पारित प्रस्ताव, संकल्प एवं बजट पर अपनी स्वीकृति दे अथवा विशेषाधिकार का प्रयोग करे।

### परामर्शदाता मण्डल

**अनुच्छेद 8 —** परामर्शदाता मण्डल की नियुक्ति संरक्षक द्वारा प्राध्यापकों में रो की जाएगी।

**अनुच्छेद 9 —** परामर्शदाता मण्डल इस बात का ध्यान रखेगा कि इस संविधान का उल्लंघन न हो।

**अनुच्छेद 10 —** परामर्शदाता मण्डल के सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद की बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा।

**अनुच्छेद 11 —** कार्यकारिणी परिषद एवं परामर्शदाता मण्डल अथवा उसके किसी सदस्य के मध्य मतवैभिन्न होने पर इसकी सूचना संरक्षक को दी जाएगी, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

*प्राचार्य  
मानुषी शांतवा हनरीमलजी के पी संघवी  
राजकीय महाविद्यालय, रेवदर (सिराही)*

छात्र—संघ का संविधान

अनुच्छेद 12 -

परामर्शदाता मण्डल के सदस्यों को छात्र संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उनको मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

### छात्र संसद

अनुच्छेद 13 -

छात्र-संघ की अपनी एक संसद होगी, जो संरक्षक एवं छात्र-संसद के सदस्यों से निर्मित होगी।

अनुच्छेद 14 -

छात्र-संसद में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से होगा :-

- 1 छात्र-संसद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव व कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा।
- 2 छात्र-संघ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्तसचिव छात्र संसद के पदेन सदरय होंगे।
- 3 40 विद्यार्थियों पर एक कक्षा प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जायेगा। न्यूनतम 30 विद्यार्थी अतिरिक्त होने पर दूसरे अथवा तीसरे प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा।
- 4 स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षा/अनुभाग में 30 से कम विद्यार्थी होने पर न्यूनतम एक कक्षा प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा।

### पात्रता मानदण्ड

अनुच्छेद 15 -

उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार होंगे :-

- 1 स्नातक कर रहे 17 से 22 वर्ष के मध्य कीं आयु के विद्यार्थी चुनाव लड़ सकते हैं। चार वर्षीय पाठ्यक्रम में 17-23 वर्ष एवं पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में 17-24 वर्ष तक विद्यार्थी चुनाव में भाग ले सकते हैं। आयु की गणना नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को की जायेगी।
- 2 स्नातकोत्तर छात्रों हेतु वैध तरीके से चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी।
- 3 शोधार्थियों के लिए वैध रूप से चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी।
- 4 छात्रसंघ चुनाव हेतु उम्मीदवार के खाते में किरी भी परिस्थिति में कोई शैक्षणिक बकाया (Academic arrears) चुनाव लड़ने के वर्ष में नहीं होना चाहिए।
- 5 उम्मीदवार द्वारा उपस्थिति का वह न्यूनतम प्रतिशत जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाये या 75 प्रतिशत

*प्राचार्य २६-१-१३*

मातुर्मात्री शांतिबा हजारीमलजी के पी संघबी  
राजकीय महाविद्यालय, रंबढ़ (सिरोही)

छात्र-संघ का संविधान

अनुच्छेद 20 - 1 छात्र-संसद को अधिकार होगा कि :-

- (क) संरक्षक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत व्यवस्थापन कार्य करे।
- (ख) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा प्रस्तुत बजट पर विचार कर पारित करे।
- (ग) इस संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों को निर्देश दे।
- (घ) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों से प्रश्न पूछे।
- (ङ.) संरक्षक की र्हीकृति से अपनी कार्यविधि बनाए।

- 2 बजट पर छात्र-संसद की र्हीकृति न मिलने पर संरक्षक को प्रस्तावित बजट पर निर्णय लेने का अधिकार होगा।
- 3 छात्र-संसद को प्राचार्य महोदय अथवा प्राध्यापक मण्डल के आचरण के विषय में विचार करने का अधिकार नहीं होगा।

### स्पीकर

अनुच्छेद 21 - 1 छात्र संसद का स्पीकर संरक्षक द्वारा संसद सदस्यों में से मनोनीत होगा और वह सब पर्यन्त अपने पद पर बना रहेगा।

- 2 स्पीकर संसद की बैठक की अध्यक्षता करेगा एवं इस पद से सम्बन्धित अन्य कार्य करेगा।
- 3 गणपूर्ति न होने पर या असामान्य स्थिति में वह सदन की बैठक को रथगित कर सकेगा।
- 4 स्पीकर की अनुपस्थिति में संरक्षक द्वारा संसद सदस्यों में से मनोनीत डिप्टी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करेगा एवं स्पीकर की शक्तियों का उपयोग करेगा।
5. स्पीकर को अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु परामर्शदाता मण्डल द्वारा मन्त्रणा दी जायेगी।

प्राचार्य  
मातुश्री शांताबा हजारीमलजी के पी संघवी  
राजकीय महाविद्यालय, रेवदर (सिरोही)

छात्र-संघ का संविधान

- 2 संरक्षक द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य सम्पादित करेगी।
- 3 कार्यकारिणी परिषद् अपनी कार्यप्रणाली निश्चित करेगी, छात्र-संसद द्वारा निर्दिष्ट उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु नियमों एवं उपनियमों का निर्माण करेगी तथा स्पीकर के परामर्श से संसद की समितियों का गठन करेगी।

अनुच्छेद 26 —

अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति के अतिरिक्त अन्य अवस्था में कार्यकारिणी परिषद् का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने से प्रारम्भ हो कर सत्रान्त तक होगा।

### कार्यकारिणी परिषद् की बैठक

अनुच्छेद 27 —

- 1 अध्यक्ष की अनुमति से महासचिव कार्यकारिणी परिषद् की बैठक आमन्त्रित करेगा।
- 2 बैठक की स्वीकृति देने से पूर्व अध्यक्ष इस सम्बन्ध में संरक्षक की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

### चुनाव सम्बन्धी व्यय एवं वित्तीय जबवादेही

अनुच्छेद 28 —

छात्रसंघ चुनाव में प्रतिवर्ष संरक्षक एवं प्राचार्य द्वारा घोषित चुनाव सम्बन्धी व्यय एवं वित्तीय जबवादेही उम्मीदवारों द्वारा पालना परिशिष्ट — I के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।

### आचार संहिता

अनुच्छेद 29 —

छात्रसंघ चुनाव में प्रतिवर्ष संरक्षक एवं प्राचार्य द्वारा घोषित चुनाव सम्बन्धी आचार संहिता की अनुपालना परिशिष्ट — II के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।

### निर्वाचन

अनुच्छेद 30 —

निर्वाचन सूचना, व्यवस्था एवं उसका संचालन संरक्षक द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार होगा।

*26-1.5.23*  
 प्राचार्य  
 मानुश्री प्रांताबा हजारीबलजी के बीं संघवी  
 राजकीय महाविद्यालय, रेक्टर (सिरोही)

छात्र-संघ का संविधान

## पदों का रिक्त होना

अनुच्छेद 31 — छात्र संसद के सदस्य का पद रिक्त हो जायेगा यदि वह —

- (क) पद से त्यागपत्र दे दे एवं उसका त्यागपत्र स्वीकृत हो जाए।
- (ख) संरक्षक द्वारा सदस्यता हेतु अनहूँ घोषित कर दिया जाए।
- (ग) अनुच्छेद 7 के खण्ड 5 के अन्तर्गत पदच्युत कर दिया जाए।

अनुच्छेद 32 — 1 कार्यकारिणी परिषद् सदस्य का पद रिक्त हो जायेगा यदि —

- (क) कोई सदस्य अपने पद से त्यागपत्र दे दे एवं उसका त्यागपत्र स्वीकृत हो जाये।
- (ख) वह अपने पद पर बने रहने के लिये अनहूँ घोषित कर दिया जाये।
- (ग) अनुच्छेद 7 के खण्ड 5 के अन्तर्गत पदच्युत कर दिया जाये।

2 यदि चूनाव होने के दो महीने के अन्दर अध्यक्ष और/या महासचिव का कार्यालय पद रिक्त हो जाता है तो उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत कर दिया जायेगा। इसी प्रकार संयुक्त सचिव को महासचिव के पद पर पदोन्नति दे दी जायेगी। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय संरक्षक का होगा।

3 उपर्युक्त काशणों से या अविश्वास के संकल्प के पारित होने के फलस्वरूप यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाये तो उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव के अतिरिक्त सम्पूर्ण कार्यकारिणी परिषद् स्वतः भंग हो जाएगी।

अनुच्छेद 33 — अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव के अतिरिक्त कार्यकारिणी के किसी सदस्य को हटाये जाने का परामर्श देने पर संरक्षक द्वारा उस सदस्य को अपने पद से हटा दिया जायेगा।

*20/2/23*  
प्राचाये । ११२३  
मातृथी शांतादा हजारीमलजी के पी मंडवी  
राजकीय महाविद्यालय, रेवदर (सिरोही)

## अध्यक्ष एवं महासचिव पर अविश्वास की प्रक्रिया

- अनुच्छेद 34-1** यदि छात्र संसद के  $1/4$  सदस्य अध्यक्ष या महासचिव के विरुद्ध अविश्वास के संकल्प की सूचना अपने हस्ताक्षर सहित दे तो उपर्युक्त संकल्प की सूचना प्राप्त होने पर संरक्षक द्वारा इस आशय की पूर्ति हेतु विशेष अधिवेशन आहूत किया जाएगा।
- 2 विशेष अधिवेशन आहूत करने से पूर्व संरक्षक हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की विश्वसनीयता के विषय में निर्णय लेने हेतु सक्षम होगा।
  - 3 यदि अध्यक्ष अथवा महासचिव के विरुद्ध अविश्वास का संकल्प कुल सदस्य संख्या के  $2/3$  से पारित हो जावे तो स्पीकर इस आशय की सूचना संरक्षक को देगा एवं संरक्षक पारित संकल्प के अनुसार सम्बद्ध पदधारी को हटा देगा।
  - 4 अविश्वास संकल्प सत्र में एक बार से अधिक प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

**अनुच्छेद 35 -** अध्यक्ष पद रिक्त होने पर निवर्तमान अध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद् के समरत अभिलेख एवं अपने पास का सारा सामान संरक्षक द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को हस्तान्तरित कर देगा।

## संविधान संशोधन

- अनुच्छेद 36 -**
1. संशोधन के समरत प्रस्ताव संरक्षक की पूर्व स्वीकृति से पुनः स्थापित किये जाएंगे।
  2. यदि प्रस्ताव को कुल सदस्यों के  $2/3$  का समर्थन प्राप्त हो जाए तो प्रस्ताव पारित समझा जाएगा।
  3. संरक्षक द्वारा स्वीकृत होने की तिथि से यह संशोधन संविधान में रामायिष्ट हो जाएगा।
  4. छात्र-संघ के अस्तित्व में न होने पर संरक्षक को इस संविधान में संशोधन करने का अधिकार होगा।

*प्राचायण  
१५.८.२३*

महाश्री शांतावा हजारीपलजी के पी संघवी  
महावीर महाविद्यालय, रेवदर (सिरोही)


छात्र-संघ का संविधान

**अनुच्छेद 37 – परिभाषाएं –**

- 1 संविधान से तात्पर्य GOVT. COLLEGE, REODAR छात्र-संघ का संविधान होगा।
- 2 अनुच्छेद से तात्पर्य इस संविधान के अनुच्छेद से होगा। खण्ड से तात्पर्य उसके खण्ड से होगा जिसे (1)(2)(3) आदि के रूप में दर्शाया गया है। उपखण्ड से तात्पर्य खण्ड के भाग से होगा, जिसे (क)(ख)(ग) आदि के रूप में दर्शाया गया है।
- 3 संसद से तात्पर्य GOVT. COLLEGE REODAR छात्रसंघ की संसद से होगा।
- 4 प्राचार्य से तात्पर्य प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य से होगा।
- 5 छात्र-संघ में छात्र एवं छात्राएं समाहित हैं, जो इस महाविद्यालय में नामांकित हैं।
- 6 वित्त से आशय – धनराशि को निकालने एवं उसके संचालन के विषय में संरक्षक द्वारा नियमों का निर्धारण किया जाएगा एवं संरक्षक द्वारा लेखे का अंकेक्षण किया जाएगा।

**अनुच्छेद 38 –**

यह संविधान प्राचार्य (संरक्षक) द्वारा अधिघोषित तिथि से लागू होगा।

  
 संरक्षक एवं प्राचार्य  
**प्राचार्य**  
 मातुश्री शांतावा हजारीमलजी के पी संघवी  
 राजकीय महाविद्यालय, रेवदर (सिरोही)

  
**प्राचार्य** ।।। ।।।  
 मातुश्री शांतावा हजारीमलजी के पी संघवी  
 राजकीय महाविद्यालय, रेवदर (सिरोही)


छात्र-संघ का संविधान

## परिशिष्ट I

चुनाव सम्बन्धी व्यय एवं वित्तीय जवाबदेही

छात्रसंघ चुनाव

- १. इनि उम्मीदवार अधिकतम 5000/- रुपये के व्यय की अनुमति है।
- २. यह परिणाम के घोषित होने के दो सप्ताह के अन्दर हर उम्मीदवार महाविद्यालय पूर्ण एवं अंकेश्वित लेखे सुपुर्द करेगा। महाविद्यालय ऐसे अंकेश्वित लेखों को एक रूपत माध्यम के द्वारा प्राप्त होने के दो दिवस के अन्दर प्रकाशित कराएगा, जिससे कि छात्र निकाय का कोई भी रादस्य उनका स्वतन्त्र परीक्षण कर सके।
- ३. निरी भी प्रकार से उम्मीदवार द्वारा उक्त निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च किये जाने पर उस उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जाएगा।
- ४. चुनाव प्रक्रिया में सज्जनीति दलों से रुपयों की आवक को रोकने हेतु उम्मीदवारों द्वारा निकाय द्वारा रखेच्छिक योगदानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से कोई शरारी लेना विशेष रूप से प्रतिबन्धित है।

  
 संरक्षक एवं प्राचार्य  
 प्राचार्य  
 मातुश्री शांताबा हजारीमलजी के पी संबंधी  
 राजकीय महाविद्यालय, रेवदर (सिरोही)

  
 प्राचार्य  
 मातुश्री शांताबा हजारीमलजी के पी संबंधी  
 राजकीय महाविद्यालय, रेवदर (सिरोही)

छात्र-संघ का संविधान

## परिशिष्ट II

### आचार संहिता

#### छात्रसंघ चुनाव

उत्थान राजकारण शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के पत्र क्रमांक प.3(54)शिक्षा-4 / 2002  
मात्रा 1103, 25.06.2010 के द्वारा छात्रसंघ चुनाव के सम्बन्ध में प्राप्त लिंगदोह समिति की  
विभिन्नों के अनुरूप छात्रसंघ चुनाव कराये जाने हेतु दिशानिर्देश (संविधान) के बिन्दु संख्या  
एवं उत्थान राजकारण उम्मीदवारों एवं चुनाव प्रशासकों हेतु निम्न प्रकार से आचार संहिता की पालना  
रखनी चाही जानी है :-

1. चुनाव प्रशासकों हेतु आचार संहिता :-

1. यही उम्मीदवार ऐसी किसी प्रक्रिया/गतिविधि में लिप्त नहीं होगा, ना ही ऐसी  
क्रिया/गतिविधि का उत्प्रेरण करेगा जो कि उपरिथित मतभेदों को बढ़ावा देवे  
गपरी वैमनरय या विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, धार्मिक अथवा भाषायी या  
र्थों के किसी समुदाय या समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करे।

2. उम्मीदवारों की आलोचना जब भी की जायेगी तब वह उनकी नीतियों, कार्यक्रमों,  
पूर्व रिकार्ड व कार्यों तक सीमित होगी। उम्मीदवार निजी जीवन के सभी पक्षों  
में आलोचना से बचेंगे जो अन्य उम्मीदवारों की सामाजिक गतिविधियों या उनके  
समर्थकों से सम्बन्धित नहीं हो। असत्यापित आरोपों व विद्वपताओं पर आधारित अन्य  
उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की आलोचना से बचा जाएगा।


3. ऐसा हेतु जातीय अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं की  
जाएगी। पूजारथल चाहे वे परिसर के अन्दर अथवा बाहर हों, चुनाव प्रचार हेतु  
अपील नहीं किये जायेंगे।

4. उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों/कार्यों में लिप्त होने या उनके उत्पीड़न करने  
के लिये अवधित किया जाएगा जो कि भष्ट आचरण एवं अपराध माने जाते हैं जैसे कि  
केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में प्रचार या use of propaganda, चुनाव के  
प्रयोग से 24 घण्टे पूर्व के समय में जनसभा आयोजित करना और मतदाताओं  
का लालन केन्द्रों पर लाना और वापिस छोड़ना।

5. यही उम्मीदवार को छपे हुए पोर्टर्स, या किसी अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार  
हेतु उपयोग की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार प्रचार के बारते केवल हस्तनिर्मित  
पोस्टर का उपयोग कर सकेंगे तबकि जब ऐसे हस्तनिर्मित पोस्टर्स उपर्युक्त लिखित  
भाषा के अन्तर्गत बनाये गये हों।

6. यह एकल हस्तनिर्मित पोर्टर्स का उपयोग परिसर में कुछ जगहों पर कर  
जायेगा जो कि पूर्व में ही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे।

7. यही उम्मीदवार को महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियां, जनसभा या प्रचार  
सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।

  
 प्राचार्य ।।।  
 मानुषी शांतावा हुजारीमलजी के पी संघवी  
 राजकीय महाविद्यालय, रैली (सिरोही)

छात्र-संघ का संविधान

कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी भी उद्देश्य हेतु महाविद्यालय परिसर में निष्पत्ति को खण्डित अथवा नष्ट करने पर सभी उम्मीदवार संयुक्त रूप से एवं ऐसा विध्वंस अथवा खण्डन करने के दोषी होंगे।

के दौरान महाविद्यालय परिसर में उम्मीदवार रैलियां निकाल सकते हैं, और इनकर सकते हैं यदि ऐसी रैलियां या जनसभा किसी भी प्रकार से महाविद्यालय में उन्हें बाली कक्षाओं तथा दूसरी शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्रियाओं में व्यवधान उत्तरान करें, ताथ ही यह भी कि ऐसी रैली अथवा जनसभा को बिना महाविद्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

हेतु लाउडस्पीकर, बाहनों और जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।

के दिन छात्र संगठन एवं उम्मीदवार :—

उम्मीदवार चुनाव ड्यूटी पर उपरिथित अफसरों से सहयोग करेंगे। इस वारस्ते कि अतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित हो सके और मतदाताओं को अपना उल्लाधिकार करने हेतु पूर्ण स्वतंत्रता होगी, बिना किसी नाराजगी या व्यवधान के। उल्लान दिवस को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या दूसरी ठोस अथवा उल्लान भोज्य सामग्री वितरित नहीं करेंगे, पानी को छोड़कर।

उल्लान दिवस को किसी प्रकार का प्रचार/प्रचार सामग्री नहीं बांटेंगे।

वों के अलावा अन्य कोई भी बिना किसी वैध पास/ अधिकार पत्र के उल्लान के मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

उल्लान प्रशासन द्वारा निष्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाएंगे। यदि उम्मीदवारों को उल्लान संचालन से सम्बन्धित कोई विशेष शिकायत अथवा समस्या हो तो वे उस विशेष को पर्यवेक्षक के ध्यान में लायेंगे।

रामार्थि के 48 घण्टे के भीतर मतदान क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करना सभी उल्लान की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।

सिफारिशों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर उम्मीदवार अपनी उल्लान खो देगा या उसे निर्वाचित पद से भी बंचित किया जा सकेगा। जैसा कि उल्लान हो। ऐसे उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

वर्णित आवार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता 1860 के कुछ (sec 153 A and chapter IX A- चुनावों से सम्बन्धित अपराध) भी छात्रसंघ चुनावों किये जा सकेंगे।

*2/10/2013*

संरक्षक एवं प्राचार्य  
प्राचार्य  
मातृश्री शांतावा हजारीमलजी के पी संघवी  
राजकीय महाविद्यालय, रेवदर (सिरोही)

*2/10/2013*  
प्राचार्य  
मातृश्री शांतावा हजारीमलजी के पी संघवी  
राजकीय महाविद्यालय, रेवदर (सिरोही)

छात्र-संघ का संविधान